The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2023- introduced

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ ।

____

माननीय सभापति : आप लोग कृपया करके अपनी सीट्स पर जाइए । हंगामा और बहस एक साथ नहीं चल सकता है । आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर जाएंगे तभी बहस संभव है । आपने जो विषय उठाया है, आप जिस पर चर्चा करना चाहते हैं, आप लोग उसकी बहस में भाग लीजिए । Please go back to your seats. हंगामा और चर्चा साथ-साथ नहीं चल सकते ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

12.09 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

____

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : पहले आप सब बैठिए । प्लीज़, बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया काम शुरू होने दीजिए ।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please, let us start something.

? (Interruptions)

14.01 hrs

At this stage, Sushri Mahua Moitra, Shri Hibi Eden and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

? (व्यवधान)

14.02 hrs

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा । जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे 20 मिनट के अंदर अपने मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें । केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होगा । शेष को व्यपगत माना जाएगा ।

? (व्यवधान)